



प्रमाण सारणी-5
(अधिनियम 8)
जन्म प्रमाण पत्र
हरियाणा सरकार
स्वास्थ्य विभाग



जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12 के अधीन जारी
गया जन्म प्रमाण पत्र। यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना जन्म
न रिकॉर्ड से ली गई है, जो (स्थानीय क्षेत्र) ता. शीमा
त ता. शीमा जिला जिला
हरियाणा के रजिस्टर में है।

तिथि

19/9/11

का स्थान

दिल्ली वासिमा दाम तोराम

का नाम

अनिल

का नाम

1995 नीलम

प्रदान संख्या

रजिस्ट्रेशन तिथि

03-10-11

जिला

पता

प्र/वा

19/9/11

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

वरिष्ठ अधिकारी

अधिकारी

1. बच्चे के नाम के खाली कोष्ठों में बच्चे का नाम एक घंटे तक निशुल्क लिखा जा सकता है।
2. उपरोक्त विवरण चेक कर ले यदि कमी हो तो तुरन्त सूचित करें। बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।